फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम नाथूराम

यालय

ख्या 2/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/12/19	वक्फ उप० । पत्रावली का अवलोकन किया गया । बहस पर सुनी किया गया । वकीलवादी ने बहस में कथन किया गया कि मामला स्थाई निषेधाज्ञा का है जो स्वरूप दर पर विचाराधीन है । प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है । ताकि जल्दी के साथ न्याय हो सके । वकील अदावी ने जवाब पत्र बाजदावरी का विरोध किया तथा खारिज करने का निवेदन किया गया । प्रकरण को न्यायहित में डिले अवधि को कन्डोन करते हुये जवाब-पत्र ०१R७ CPC को 1000/-Rs की cost पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है । पत्रावली में मूलवाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने की अनुमति दी जाती है । पत्रावली कैलेन्डर शुमार होकर उसी नम्बर के रूप हो तथा मूलवाद के साथ संलग्न रहे । Devyn	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2020.02.05 14:06:39 IST
Reason: SelfAttested